संख्या- 408/2025/174के-2/22-3-2025-17(324)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2025

विषय:- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री महीपाल सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-38640/प्रोबे0-5-दया0बैठक-10.12.2024, दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री महीपाल सिंह, ग्राम विरामपुर, थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर की निवासिनी है। महिला बंदी द्वारा फिरौती की मांग के कारण दिनांक 15.07.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 06 वर्ष के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-95/2008 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8, बिजनौर के आदेश दिनांक 24.02.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा दिनांक 19.06.2024 की अपनी आख्या में महिला बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष महिला बन्दी सुनीता देवी पत्नी श्री महीपाल सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 के अनुसार महिला बन्दी की 42 वर्ष, 10 माह, 06 दिन की आयु महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, महिला बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (06 वर्ष के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या) के दृष्टिगत, सभी बिदुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुनीता देवी (बन्दी संख्या-2053) पत्नी श्री महीपाल सिंह, जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-408 /2025/174के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।